श्री आर0एस0 सिंह,
विशेष सचिव।

अर्धशा0प0स0–वे0आ0–2– 920 / दस–2004
44 / 2001 टी0सी0
वित्त (वेतन आयोग) अनु0–2

लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2005

प्रिय महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों हेतु गठित वेतन समिति (1997–99) द्वारा 14वें प्रतिवेदन तथा 16वें प्रतिवेदन खण्ड–1 व 2 के माध्यम से संबंधित संवर्गों / विभागों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर विचार किये जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर ई0 डी0 पी0 संवर्ग (कम्प्यूटर संवर्ग) के पदों के संबंध में लिये गये निर्णय से आपको वित्त विभाग के अर्धशासकीय पत्र सं0 वे0आ0–2–1550 / दस–2001–44 / 2001 दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 द्वारा अवगत कराया गया था।

2– उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन में आ रही कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिये गये निर्णय (अनुलग्नक–1) आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे है कि कृपया इन निर्णयों के तहत नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि आदेश निर्गत करने के पूर्व वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग की लिखित सहमति कृपया अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

भवदीय,

संलग्नक: उक्तानुसार।

(आर0 एस0 सिंह)

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव (नाम से)
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रदेश में ई0डी0पी0 संवर्ग के विषय में शासन द्वारा लिये गये निर्णय।

ई0डी0पी0 संवर्ग

वेतन समिति की संस्तुतियाँ	वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में शासन द्वारा लिया गया निर्णय	मुख्य सचिव समिति की संस्तुति
कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए 1– वर्तमान में पंच आपरेटर, पंच वेरीफायर/आपरेटर ग्रेड–2 कम्प्यूटर असिस्टेंट, एल0डी0सी0 (कम्प्यूटर) पंच कार्ड मशीन आपरेटर वेतनमान रू0 950–1500 के पदों को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए पदनाम एवं रू0 4000–6000 का वेतनमान अनुमन्य करना।	वेतन समिति की संस्तुतियाँ स्वीकार की गयी।	समिति की संस्तुति है कि पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत बनाये रखा जाय।
2–(क) उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए में सम्मिलित ऐसे पद धारक, जो निर्धारित अर्हता की पूर्ति नहीं करते हैं, उन्हें रू0 3050–4590 का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाय।	वेतन समिति की संस्तुतियाँ स्वीकार की गयी।	समिति की संस्तुति है कि इन पदों पर नियुक्त पदधारकों को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए पदनाम व रू0 4000–6000 का वेतनमान अनुमन्य करा दिया जाय। भविष्य में इन पदों पर भर्ती वित्त विभाग के अधेशा0 पत्र सं0–वे0आ0–2 1550/ दस–2002–44 /2001 टी.सी., दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 के अनुलग्नक की संस्तुति संख्या–6.1 में उल्लिखित अर्हता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम से कम 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट का टंकण गति वाले अभ्यर्थियों से की जाय।
2–(ख) उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए में सम्मिलित रू0 3050–4590 के ऐसे पद धारक, जिन्होंने वेतनमान रू0 950–1500 तथा समकक्ष वेतनमान में 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जिनका कार्य उत्तम स्तर का हो, उन्हें रू0 4000–6000 का वेतनमान दे दिया जाय। ग कार्यरत पदधारकों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र का कम से कम 4 माह का प्रशिक्षण/कोर्स निर्धारित किया जाय जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात उन्हें रू0 4000–6000 का वेतनमान दिया जाय।	वेतन समिति की संस्तुतियों को निम्न प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया गया :– 1. वर्तमान में रू0 3050–4590 के वेतनमान वाले पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय। 2. जो पदधारक समिति द्वारा संस्तुत अर्हता रखते हों अथवा जो मार्च, 2004 तक D.O.E. से "ओ" लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें उन्हें रू0 4000–6000 का वेतनमान दे दिया जाय। 3. निर्धारित अर्हता के साथ हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम से कम 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट का टंकण गति भी निर्धारित की जाय।	

3- वित्त विभाग के अर्धशा0 पत्र सं0-वे0आ0-2-1550/दस-2002-44/2001 टी.सी. दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 के संलग्नक की संस्तुति संख्या-6.1 में उल्लिखित अर्हता आदि का निर्धारण करते हुए सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से किया जाय।	वेतन समिति की संस्तुतियां शासन द्वारा स्वीकार की गयी।	समिति को अवगत कराया गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब अस्तित्व में नहीं है। लोक सेवा आयोग से भर्ती की व्यवस्था रखे जाने की स्थिति में इन पदों की विभाग में तात्कालिक आवश्यकता के होने पर इन्हें भरे जाने में कठिनाई होगी। इसे दृष्टिगत रखते हुए समिति की संस्तुति है कि इन पदों को विभागाध्यक्ष स्तर पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था रखी जाय।
2- कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी 1- इस श्रेणी में पंच वेरीफायर/आपरेटर, पंच वेरीफायर/आपरेटर ग्रेड-1 एवं सुपरवाइजर डाटा इन्ट्री आपरेटर रु0 1200-2040 एवं पंच सुपरवाइजर, डाटा इन्ट्री वेरीफायर/आपरेटर, डाटा असिस्टेन्ट, डाटा इन्ट्री आपरेटर रु0 1350-2200 के पदो को सम्मिलित करते हुए कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी, पदनाम एवं रु0 4500-7000 वेतनमान अनुमन्य कराया जाय।	वेतन समिति की संस्तुतियों स्वीकार की गई।	समिति की संस्तुति है कि पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत बनाये रखा जाय।
2- ऐसे वर्तमान पदधारक, जो वित्त विभाग के अर्धशा0 पत्र सं0-वे0आ0-2-1550/दस-2002-44/2001 टी.सी. दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 के संलग्नक की संस्तुति संख्या-6.2 में उल्लिखित अर्हता एवं निर्धारित शर्तो को पूर्ति नहीं करते हैं, उन्हें दिनांक 1-1-1996 के पूर्व के वेतनमान का समान्य पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाय।	वेतन समिति की संस्तुतियों इन संशोधनों के साथ स्वीकार की जांय कि रु0 4500-7000 का वेतनमान निर्धारित अर्हता पूरी करने के उपरान्त ही दिया जाय। निर्धारित अर्हता के साथ हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम से कम 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति भी निर्धारित की जाय।	समिति की संस्तुति है कि इन पदों पर नियुक्त पदधारकों को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी पदनाम व रु0 4500-7000 का वेतनमान अनुमन्य करा दिया जाय। भविष्य में इस श्रेणी के पदों पर भर्ती वित्त विभाग के अर्धशा0 पत्र सं0-वे0आ0-2-1550/दस-2002-44/2001 टी.सी., दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 के अनुलग्नक की संस्तुति संख्या-6.2 में उल्लिखित अर्हता वाले अभ्यर्थियों से की जाय। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती वाले पदों हेतु हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम

		से कम 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट का टंकण गति भी उक्त अर्हता में सम्मिलित किया जाय।
3– वेतनमान रु0 4000–6000 के ऐसे पदधारक जिन्होने कुल 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जिनका कार्य उत्तम स्तर का हो, उन्हें रु0 4500–7000 का वेतनमान दे दिया जाय किन्तु भविष्य में नियुक्ति प्रस्तावित अर्हता व भर्ती की विधि के अनुसार ही की जाय।	उपरोक्तानुसार।	उपरोक्तानुसार।
कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–सी 1– इस श्रेणी में उल्लिखित पदों डाटा इन्ट्री आपरेटर रु0 1400–2300 मशीन आपरेटर/ सुपरवाइजर, डाटा प्रोसेसिंग एण्ड चेकिंग/डाटा प्रोसेसिंग सुपरवाइजर/ कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–सुपरवाइजर वेतनमान रु0 1400–2300 एवं कम्प्यूटर कोआर्डिनेटर रु0 1600–2660 के पदों को सम्मिलित करते हुए कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–सी पदनाम एवं रु0 5000–8000 वेतनमान अनुमन्य कराया जाय।	शासन द्वारा वेतन समिति की सस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया।	शासन द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत बनाए रखा जाय।
2– इस श्रेणी में सम्मिलित वेतनमान रु0 4500–7000 के ऐसे पदधारक, जो निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं करते हैं, उन्हें उक्त रु0 4500–7000 का वेतनमान तब तक [illegible] रु0 से मिलेगा।	शासन द्वारा वेतन समिति की सस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया।	समिति की संस्तुति है कि इन पदधारकों को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–सी पदनाम एवं रु0 5000–8000 का वेतनमान अनुमन्य करा दिया जाय। भविष्य में इन पदों को वित्त विभाग के अर्धशा0 पत्र सं0–वे0आ0– 2–1550/दस–2002–44 /2001 टी. सी., दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 के अनुलग्नक की संस्तुति संख्या–6.3 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार पदोन्नति के माध्यम से भरा जाय।

4– अन्य पद–		इस संवर्ग के कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–सी से ऊपर के पद यथा प्रोग्रामर ग्रेड–2, प्रोग्रामर ग्रेड–1, सिस्टम एनालिस्ट, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट एवं सिस्टम मैनेजर के सम्बन्ध में उनके वेतनमानों, भर्ती की विधि, कार्य एवं दायित्व आदि के विषय में वित्त विभाग के अर्धशा0 पत्र सं0–वे0आ0–2–1550/दस–2002–44/2001 टी.सी., दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 के अनुलग्नक की संस्तुति संख्या–6.4, 6.5, 6.6, 6.7 एवं 6.8 में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
5– सामान्य संस्तुतियॉ :––		
1– जूनियर प्रोग्रामर और उसके ऊपर के पदों के लिए एक संवर्ग बनाया जाय ताकि कम्प्यूटर पर कार्य करने वाले पदधारकों को आगे प्रोन्नति के उचित/अधिक अवसर प्राप्त हो सकें। इसके फलस्वरूप ऐसे पद धारकों के लिए इस क्षेत्र में कार्य करने का आकर्षण पैदा होगा।	1– सामान्य संस्तुतियों के बिन्दु–1 पर उल्लिखित वेतन समिति की संस्तुति को शासन द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।	समिति को अवगत कराया गया कि सामान्य संस्तुतियों के बिन्दु संख्या–1 एवं 2 के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय में विरोधाभास होने के कारण इनका कार्यान्वयन किये जाने में कठिनाई हो रही है। सम्यक् विचारोपरान्त समिति की संस्तुति है कि:–
2– ऐसे बड़े विभाग, जहॉ कम्प्यूटर संवर्ग में अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कम से कम 50 हो, वहॉ अलग संवर्ग रखा जाय। शेष विभागों के लिए एक एकीकृत संवर्ग बनाया जाय। ऐसा एकीकृत संवर्ग बनाया जाना एक तो कार्य के हित में होगा दूसरे इस संवर्ग का एक उपयुक्त ढॉचा बन जायगा। ऐसे विभिन्न विभागो, जिनके लिए एकीकृत संवर्ग बनाया जाय, उनमें जो सबसे बड़ा विभाग हो, उसे इस कार्य हेतु नोडल विभाग बनाया जाय।	2– जिस विभाग में इस संवर्ग के 15 पदों से कम पद हैं, यहॉ उन्हें मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय। वित्त विभाग के अधीनस्थ वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय द्वारा एक एकीकृत संवर्ग बनाया जाय जहॉ से छोटे विभागों के छितरे हुए पदों को भरा जाय।	वेतन समिति की संस्तुति के अनुसार प्रोग्रामर ग्रेड–2 एवं इससे ऊपर के पदों का ही एकीकृत संवर्ग नोडल विभाग "वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय" के अन्तर्गत गठित किया जाय। इस स्तर से निम्न स्तर के पद, जो विभागों में विद्यमान हैं, उन्हें विभागीय संवर्ग के अन्तर्गत ही बनाये रखा जाय। प्रोग्रामर ग्रेड–2 एवं इससे ऊपर के पदों के वर्तमान पदधारकों द्वारा पद रिक्त किये जाने की स्थिति में विभागों मे पद जैसे–जैसे समाप्त होते जायगे

		उनके स्थान पर इस संबंध में वित्त विभाग के अधिशा0 पत्र सं0–सेटअप–2–1550/दस–2002–44/2001 टी.सी. दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 के अनुलग्नक में उल्लिखित समकक्ष स्तर के पद नोडल विभाग में सृजित किये जायेंगे।
	3–उक्त संस्तुतियाँ तभी लागू की जाय जब सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन तदनुसार कर दिये जायें अथवा जहाँ सेवा नियमावली नहीं है वहाँ उक्त संस्तुतियों का समावेश करते हुए सेवानियमावली प्रख्यापित कर दी जाय।	समिति को अवगत कराया गया कि अर्हता आदि सम्बन्धी संशोधन का नियमावली में समावेश किये जाने के उपरान्त ही संशोधित वेतनमान का लाभ दिये जाने विषयक शासन का निर्णय इस कारण व्यवहारिक नहीं है कि अलग अलग विभागों द्वारा अर्हता संशोधन अलग–अलग समय पर हो पायेगा और इससे एकरूपता नहीं रह पायेगी। इस विषय में समिति की संस्तुति है कि नोडल विभाग कार्मिक एवं साख्यकीय निदेशालय द्वारा इन पदों के सामंजस्य में एक आदर्श सेवा नियमावली बनायी जाय, जो सभी विभागों पर एक समान रूप से लागू हो। शासन द्वारा लिये गये निर्णय की तिथि तक विभिन्न पदनामों से सेवा में प्रवेश कर चुके पदधारकों को उपरोक्त तालिका में उल्लिखित पदनाम व वेतनमान अनुमन्य करा दिये जाय परन्तु भविष्य में इन पदों के विरुद्ध भर्ती नियमावली प्रख्यापित होने के उपरान्त ही की जायेगी।